वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 120 /2025 *दिनांक- 30.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 30.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- मेंहनगरः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 23.03.2025 को वादिनी की तहरीरी कि करीब दो वर्ष से गोविन्द सरोज पुत्र धर्मेन्द्र सरोज ग्राम डीहा थाना जहानागंज आजमगढ वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया दिनांक 22.3.25 को समय करीब 9 बजे रात को मो0 नं0 xxxxxxx000 से मेरी मो0 नं0 पर शादी करने से इनकार कर रहा है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119/2025 धारा 69 BNS बनाम सागर सरोज पुत्र धर्मेन्द्र सरोज सा0 डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 30.03.25 को व0उ0 नि0 रंजय सिह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सागर सरोज उर्फ गोविन्दा पुत्र धर्मेन्द्र सरोज सा0 डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को जियासड़ बाजार से समय 12.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

02.थाना तहबरपुरः शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

अवगत कराना है कि विपक्षी अभिषेक निषाद पुत्र स्व0 विनेश निषाद ग्राम रैसिंगपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया तथा बहला फुसलाकर आवेदिका के आधार कार्ड से लोन दिलवा दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/2025 धारा – 69,318(4)भा0न्या0सं0 पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि –

गिरफ्तारी का विवरणः—

आज दिनांक 30.03.2025 को उ0नि0 मानचन्द यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक निषाद पुत्र स्व0 विनेश निषाद ग्राम रैसिंगपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को धनिया कुण्डी से टीकापुर जाने वाली सड़क पर चौराहे से समय 10.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना गम्भीरपुर: दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को वादिनी मुकदमा उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 22.03.25 को 17.00 बजे अभियुक्त सन्तोष सरोज पुत्र वैध निवासी असाउर टिकर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी को अकेला पाकर जबरदस्ती छेड़खानी व दुष्कर्म किया गया, मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 83/2025 धारा 74/333/351(3)/64 BNS, बनाम सन्तोष सरोज पुत्र वैध निवासी असाऊर टिकर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 30.03.2025 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सन्तोष सरोज पुत्र वैध निवासी असाऊर टिकर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ को मुखबिरी सूचना पर आज दिनांक 30.03.2025 को समय करीब 11.45 बजे उमरीश्री मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सन्तोष सरोज पुत्र वैध निवासी असाऊर टिकर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ

04.थाना- बरदहः चोरी की मोटर साइकिल व मोटर साइकिल पार्ट के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि उ0नि0 उमेशचन्द यादव मह हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गोडहरा बाजार में संदिग्ध एक मोटरसाइकिल चालक को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम इन्दल पुत्र रामाश्रय ग्राम बेलाखास थाना बरदह जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष बताया। मोटर साईकल पर बधे बोरे में मोटर साइकिल का साइलेन्शर , पहिया , रिम है, जो अक्टूबर 2024 में हमने अठरही माता मन्दिर, महुजा नेवादा के पास से एक मोटरसाइकिल चुराया गया था। जिसके काफी पार्टस मैने खोल कर पहले ही घूम फिर कर समान खरीदने वाले कबाडियो को बेच दिया था तथा उससे मिले रुपये को खर्च कर दिया था। बचे हुए साइलेन्सर व पहिया आज बेचने के लिए भोर के समय में जौनपुर ले जा रहा था। चोरी गयी मोटर साइकिल के सम्बन्ध में थाना बरदह पर दिनांक 08.10.2024 को मु0अ0सं0 320/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैने दिनांक 27.03.2025 को रवनिया गांव के स्कूल से एक सोलर पैनल खोला था। जिसको 1800 रु0 मे बेच दिया था बाकी रुपये तो खर्च हो गये लेकिन जो यह अभी आप हमारे जेब से 1050 रु0 पाये है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2025 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल पर नम्बर प्लेट नही लगा है , उक्त मोटर साइकिल के सम्बन्ध में पूछने पर बता रहा है कि इस मोटर साइकिल को हमने जैन हास्पिटल अर्दली बाजार बनारस से सितम्बर 2024 में चुराया था। जिसका नम्बर प्लेट हटाकर चला रहा था। उक्त मोटरसाइकिल TVS अपाची RTR के चेसिस नम्बर MB6334AE85L2F00147 को ई चालान एप पर डालकर देखा गया तो गाडी का पंजीयन संख्या UP65DW8633 शिव प्रकाश यादव पुत्र अमर देव यादव पता ए 38/78 के कोनिया विजईपुर थाना आदमपुर वाराणसी के नाम से पाया गया। जिसके मोबाइल नम्बर पर मिला कर पूछने पर उसके द्वारा बताया जा रहा है कि साहब मेरी मोटरसाइकिल अपाची न0 UP65DW8633 दिनांक 21.09.2024 को जैन हास्पिटल अर्दली बाजार से किसी ने चुरा लिया था। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा थाना कैन्ट कमिश्नरेट वाराणसी में मु0अ0सं0 374 /2024 धारा 303(2) BNS दर्ज कराया गया है। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी है। अभियुक्त को उपरोक्त अपराध का बोध कराते हुए असवनिया नहर पुलिया समय 06.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-इन्दल पुत्र रामआसरे ग्राम बेलाखास थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः-

1. एक पहिया मय रिम व साइलेंसर (मु0अ0सं0 320/24 थाना बरदह)
2. चोरी के सोलर बेचने से मिले पैसे का शेष 1050 रुपया (मु0अ0सं0 87/25 थाना बरदह)
3. एक मोटर साइकिल अपाची बीन नम्बर की (मु0अ0सं0 374/24 थाना कैन्ट, वाराणसी)

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 88/25 धारा 317(2) BNS थाना बरदह आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 320/24 धारा 303(2), 317(2) BNS
2. मु0अ0सं0 87/25 धारा 305, 317(2) BNS थाना बरदह
3. मु0अ0सं0 374/24 धारा 303(2), 317(2) BNS थाना कैन्ट, वाराणसी
4. मु0अ0सं0 388/23 धारा 427/504 भादवि थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 125/24 धारा 504/506 भादवि थाना बरदह , आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 20/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 168/22 धारा 308/323/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 88/25 धारा 317(2) BNS थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 उमेश चन्द यादव थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0आ0 संतोष कुमार शाह थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 त्रिलोकनाथ थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 संदीप कुमार थाना बरदह, आजमगढ़

05.थाना- सिधारी: गुड़ के भेली के अन्दर नशीले पदार्थ की गोली के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक -29.03.2025 को उप कारापाल अनीता देवी व जेल वार्डर रजत कुमार व राहुल कुमार द्वारा जेल में कैदियों से मुलाकात करने आये व्यक्तियों की गेट नं0- 2 पर तलाशी ली जा रही थी कि तलाशी के दौरान रीना देवी पत्नी रविन्द्र प्रसाद निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 48 वर्ष के सामानों की तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक काली पन्नी बरामद हुई जिसे खोलकर देखा गया तो उसमें 28 गोली गुड़ का बरामद हुआ संदेह होने पर कारापाल रामनरेश गौतम को सूचना दिया गया, उनके आने पर गुड़ के भेली को फोड़ कर देखा गया तो सभी भेली में एक -एक नशीले पदार्थ की काले रंग की गोली बरामद हुई। जिसके सम्बन्ध में महिला से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि जेल में बन्द कैदी योगेश सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र शेषनाथ सिंह निवासी याकूबपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ और सतीश सिंह उर्फ छोटू पुत्र स्व प्रदीप सिंह निवासी धनहुआ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से वह मिलने आयी थी उन्ही के लिए यह सामान लेकर आयी थी। गुड़ के भेली के अन्दर से प्राप्त 28 नशीले पदार्थ के गोली को वजन किया गया तो उसका वजन 178 ग्राम पाया गया तथा गुड़ का वजन 1.442 ग्राम पाया गया। अभियुक्ता का यह कृत्य धारा 42 कारागार अधिनियम का अपराध बताया गया तथा इसकी सूचना उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी इटौरा को दिया गया। थोड़ी देर उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार साथ पीआरडी बीना कुमारी के साथ अपने पकड़ी गयी महिला रीना देवी पत्नी रविन्द्र प्रसाद निवासी कोईरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से पूछताछ करने व नशीली वस्तु कारागार में लाने के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा सकी। जिसमें जुर्म धारा 42 कारागार अधिनियम का अपराध बताकर समय 13:55 बजे बजे पुलिस हिरासत में लेकर महिला पीआरडी बीना को सुपुर्दगी में देते हुए थाना हाजा पर लाकर मु0अ0सं0 144/25 धारा 42 कारागार अधि0 का अभियोग नियमानुसार पंजीकृत कराया गया।

बरामदगी का विवरण-

1. 28 गुड़ की भेली वजन 1.442 ग्राम
2. 28 नशीले पदार्थ की गोली वजह 178 ग्राम

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. रीना देवी पत्नी रविन्द्र प्रसाद निवासी कोइरियापार थाना मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ उम्र 48 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 144/25 धारा 42 कारागार अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 144/25 धारा 42 कारागार अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

06. थाना अतरौलियाः दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

दिनांक 28.03.2025 को वादी झिनकू राजभर S/O स्व0 श्री रामचरितर राजभर ग्राम उपटापार बांसगाँव पो0 बांसगाँव थाना अतरौलिया आजमगढ़ ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री पुनीता राजभर की शादी सोनू राजभर S/O श्री रूदल राजभर ग्राम सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर के साथ 03 वर्ष पूर्व हुआ था। वादी की पुत्री से उसके ससुरालीजन लगातार दहेज की मांग करने व प्रताड़ित करने दहेज ना मिलने पर उसके पति सोनू राजभर द्वारा वादीनी की पुत्री का गला दबाकर हत्या कर देने के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/2025 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 D.P. Act थाना अतरौलिया जिला आजमगढ बनाम 1. सोनू राजभर S/O श्री रूदल राजभर ग्राम सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर 2. सास नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ और विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महोदय को प्राप्त हुआ।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 30.03.2025 को उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू राजभर S/O श्री रूदल राजभर ग्राम सहतपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 28 वर्ष को सीएचसी अतरौलिया अस्पताल से कुछ दूर पहले नियमानुसार समय 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।